सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 143 ––राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार कार्यपालक) भर्ती नियम, 1972 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार कार्यपालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार कार्यपालक) भर्ती नियम, 1992 की अनुसूची में,––

(i) स्तम्भ 1 में, फील्ड रिपोर्टर से संबंधित प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

"7. प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण)।"

(ii) स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(क) प्रसार, कार्यपालक और प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण) से भिन्न सभी पद जो प्रसार कार्यपालक में सम्मिलित हैं।	अचयन
(ख) प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण) के रूप में पदाभिहित पद और जो प्रसार कार्यपालक में सम्मिलित हैं।	चयन है

(iii) स्तम्भ II में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :––

"(क) प्रसार कार्यपालक और प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण) से भिन्न सभी पद जो प्रसार कार्यपालक में सम्मिलित हैं)	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती और प्रोन्नति कोटा के बीच रिक्तियों के आबंटन के प्रयोजन के लिए, किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों या कार्यालयों में की रिक्तियां, इस अनुसूची के उपबंध "क" में प्रत्येक मामले में यथा उपदर्शित आकाशवाणी केन्द्रों के प्रधान द्वारा एक पूल में रखी जाएंगी,
(ख) प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण) के रूप में पदाभिहित पद और जो प्रसार कार्यपालक में सम्मिलित हैं।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(1) स्तम्भ 12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :––प्रोन्नति।

"(i) प्रसार कार्यपालक और प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण) से भिन्न सभी पदों के लिए जो प्रसार कार्यपालक में सम्मिलित हैं :––ऐसे ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों में से (जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं), जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे कार्यक्रम सचिवों, स्टूडियो कार्यपालकों, कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों में से (जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है,

(ii) ऐसे ज्येष्ठ श्रेणी साधारण सहायकों/नकलनवीसों/टेप पुस्तकालयाध्यक्षों/उपकरण मरम्मतकर्ता/केयरटेकर (वाद्य उपकरण) और कनिष्ठ श्रेणी सहायकों नकलनवीसों/टेप पुस्तकालयाध्यक्षों/वाद्य उपकरणों के केयरटेकर/उपकरण मरम्मतकर्ताओं में से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम निरन्तर पांच वर्ष सेवा की है।"

[सं. 2/26/89-एस.-7 (जिल्द II)/बी (ए)]

विजय शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), 1992 में सा.का.नि. सं. 566(अ) तारीख 29-5-1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th February, 1994

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio and Doordarshan (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio and Doordarshan (Transmission Executive) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio and Doordarshan (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1992,—

(i) in column 1, after the entry 6 relating to the Field Reporter, the following entry shall be inserted, namely :—

"7. Transmission Executive (General and Production).";

(ii) for the entry in column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"(a) Transmission Executive and all posts other than Transmission Executive (General and Production) included in Transmission Executive.—Non-Selection.

(b) Posts designated as Transmission Executive (General and Production) and included in Transmission Executive—Selection" ;

(iii) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely :—

"(a) Transmission Executive and all posts other than Transmission Executive (General and Production) included in Transmission Executive.

90% by direct recruitment.

(ii) 10% by promotion, failing which by direct recruitment.

For the purpose of alloction of vacancies between the direct recruitment quota and promotion quota the vacancies at all the Stations or Offices of All India Radio and Doordarshan in a particular state or Union Territory will be pooled together by Head of All India Radio Stations as indirected in each case in Annexure 'A' to this Schedule. ;

(b) posts designated as Transmission Executive General and Production) and included in Transmission Executive.—100% by promotion failing which by direct recruitment" ;

(iv) for the entries in column 12, the following entries shall be substituted, namely :—

Promotion

"(i) For Transmission Executive and all posts other than Transmission Executive (General and Productiaon) included in Transmission Executive ;

From amongst Senior Librarians (including those of the Directorate General, All India Radio, New Delhi) with 3 years' regular service in the grade, failing which from amongst Programme Secretaries, Studio Executives, Junior Librarians (including those of Directorate General, All India Radio, New Delhi) with 5 years' regular service in the respective grades ;

(ii) For posts designated as Transmission Executive (General and Production) and included in Transmission Executive :

From amongst Senior Grade General Assistants/Copyists/Tape Librarians/Instrument Repairers/Caretaker (Musical Instruments) and Junior Grade General Assistants Copyists/Tape Librarians/Caretakers of Musical Instruments Instruments Repairers with atleast five years' continuous service in that grade."

[No. 2/26/89-S. VII (Vol. II)/B (A)]

VIJAY SHARMA, Under Secy.

Note.—Principal rules published vide GSR No. 566(E), dated 29-5-1992 Gazette of India 1992 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994